

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (एम.डी.एम.) एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत :-

क्रम	दिन एवं वार	भोजन का मेन्यू	स्वीकृत कुक-कम हैल्पर्स विवरण	
1	सोमवार	सब्जी - रोटी	छात्र/छात्रा नामांकन	कुक-कम हैल्पर
2	मंगलवार	दाल - चावल	01-50	01
3	बुधवार	दाल - रोटी	51-150	02
4	गुरुवार	खिचड़ी	150-400	03
5	शुक्रवार	दाल - रोटी	इसके उपरान्त प्रत्येक 150 छात्र/छात्रा नामांकन पर एक अतिरिक्त की स्वीकृति	
6	शनिवार	सब्जी - रोटी		

स्थानीय मांग के अनुसार सप्ताह में एक दिन निर्धारित मेन्यू के अतिरिक्त भोजन दिया जा सकता है, एवं फल प्रत्येक गुरुवार को वितरण किया जावे।

खाद्यान्न एवं मिल्क पाउडर खर्च विवरण अप्रैल 2024 से :-

क्रम	विवरण	प्रति छात्र खर्च विवरण			वि.वि.
		पूर्व-प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	
1	गेहू	100 ग्राम	100 ग्राम	150 ग्राम	
2	चावल	100 ग्राम	100 ग्राम	150 ग्राम	
3	मिल्क पाउडर	15 ग्राम	15 ग्राम	20 ग्राम	
4	शक्कर/चीनी	8.40 ग्राम	8.40 ग्राम	10.20 ग्राम	

दाल, सब्जी, तेल, मसाले खर्च विवरण अप्रैल 2024 से :-

क्रम	विवरण	प्रति छात्र खर्च विवरण			वि.वि.
		पूर्व-प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	
1	दाल	20 ग्राम	20 ग्राम	30 ग्राम	
2	सब्जी	50 ग्राम	50 ग्राम	75 ग्राम	
3	तेल	5 ग्राम	5 ग्राम	7.5 ग्राम	
4	मसाले	स्वाद एवं आवश्यकता के अनुसार			

वित्तीय खर्च विवरण अप्रैल 2024 से :-

क्रम	विवरण	प्रति छात्र खर्च राशि विवरण			वि.वि.
		पूर्व-प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	
1	कुकींग कन्वर्जन	5.45	5.45	8.17	
2	कुक-कम हैल्पर	2143 / - प्रति		अधिकतम 10 माह के लिए	भोजन पकाने हेतु
3		500 / - प्रति विद्यालय एक			दुध गर्म करने हेतु
4	शक्कर / चीनी	45 / - प्रति कि.ग्रा. (अधिकतम)			
5	गैस सिलेण्डर	1500 / - प्रति माह (अधिकतम)			

विद्यार्थियों को दूध एवं भोजन उपलब्ध कराने से पूर्व एक अध्यापक एवं एक विद्यार्थी के अभिभावक/एस.एम.सी. के सदस्य द्वारा चखा जावे तथा संबंधित रजिस्टर भी संधारित किया जावे।

योजना सम्बन्धित समस्त लेखा (दैनिक रिकार्ड/स्टॉक रजिस्टर) का संधारण एवं योजना की दैनिक/मासिक रिपोर्ट तैयार कर एस.एम.सी. द्वारा अनुमोदन उपरान्त संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करावे।

एम.डी.एम. एवं मिल्क योजना के अन्तर्गत सत्र 2023-24 का आय-व्यय विवरण का भौतिक सत्यापन जिला एम.डी.एम. लेखा शाखा द्वारा करावे। अन्यथा इसके अभाव में सत्र 2024-25 के लिए किसी भी परिस्थिति में राशी जारी नहीं की जावेगी। यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थिति के लिए संबंधित प्रभारी/संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे।